No.41/20/2023- NDM-I

Government of India Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi- 01. Dated the /6/hJanuary, 2024.

CIRCULAR

The Ministry of Home Affairs invites applications from willing and eligible individuals for engagement of consultants on contract basis in Disaster Management Division of the Ministry who have retired from the post of Under Secretary or equivalent for the post of Deputy Director and Section Officer or equivalent for post of Assistant Director for a period of six months.

number of posts		Job Profile	Consolidated remuneration per month
Consultant- 01(One) Against post of Deputy Director (in level 11)	equivalent for the post of Deputy Director and Section Officer or equivalent for the post of	 (i) Analysis of data and compilation relating to Disaster Management, Preparation of briefs, notes. (ii) Organizing of National Executive Committee and High Level Committee (HLC) Meetings, Preparing agenda points, issuing minutes/proceedings & follow up. 	The remuneration would be regulated as per Department of Expenditure O.M. dated
Consultant- 01 (One) against post of Assistant Director (in level 10)	Assistant Director. (i) The person engaged should have experience of Data Management/Data Analytics/Project Management and/or qualification in Economics/Law/Statis tics. (ii) The person engaged should have communications and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel and Power Point etc. and should have expertise in drafting/noting,	 (iii) Resource mobilization for response and relief for natural disasters. (iv) Analyzing the memorandum received from States for central assistance. (v) Constitute and depute Inter-Ministerial Central Team (IMCT) for on the spot assessment in affected areas due to any notified natural calamities in the States, and process the report before Sub Committee of National Executive Committee (SC-NEC) and HLC. (vi) Coordination with State Governments along with various 	Ministry of Home Affairs guidelines for engagement of Consultants (Retired Central Government Servants) as per copy attached.

	budget/accounts,	
	office procedure etc	C.
(iii)	The remuneration	as
	well as the terms a	and
	conditions	of
	engagement	of
	Consultant may kin	dly
	be seen in	the
	guidelines.	

budget/esseupte

subordinate organizations of this Ministry like NDMA, NDRF, NIDM etc. as well as concerned Ministries/Departments.

(vii)Reply to PMO/VIP references and RTI applications.

Applicants are requested to submit the application to Mr. Ajay Kumar, Section Officer (DM-I), C wing, 3rd Floor, NDCC-II Building, New Delhi-01, in the proforma attached (Annexure-II) and may also be emailed at ajay.kumar92@gov.in by 31st January, 2024.

(Ashish V Gawai)

Director to the Government of India

Tel:- 011-23438154

Email: av.gawai@nic.in dir-dm1@mha.gov.in

To.

- US(CS.I- Coord), Department of Personnel & Training, Lok Nayak Bhawan, New Delhi- (with the request to upload the circular in DoP&T's website for wide publicity.)
- US (Coordination), NDMA, Safdarjang Enclave, NDMA Bhawan, A-1, Nauroji Nagar, New Delhi – 29. – (with the request to upload the circular on the official website of NDMA.)
- 3. Joint Director, NIDM, Plot No. 15, Block-B, Pocket-3, Sector-29, Rohini, Delhi-42. (with the request to upload the circular on the official website of NIDM).
- NIC Cell, Ministry of Home Affairs- (with the request to upload the circular on the
 official website of Ministry of Home Affairs as well as Disaster Management
 Division website i.e. ndmindia.mha.gov.in.)

Other Terms and Conditions

1. Eligibility

- 1.1 Persons retired from the post of Under Secretary or equivalent for post of Deputy Director and Section Officer or equivalent for post of Assistant Director are eligible for the position of Consultant.
- 1.2 Should have good communications and interpersonal skills, fair knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel and Power Point etc.
- 1.3 Should have expertise in office procedure, etc.

2. Engagement:

2.1 The engagement of Consultant will be purely on contract basis and will not confer any right for regular appointment in the Ministry.

3. Working Hours:

- 3.1 The Consultant shall be required to observe the normal office timing and may also be called upon to attend the office on Saturday, Sunday or any holiday in case of exigencies of work.
- 3.2 They shall mark their attendance in AEBAS mandatorily and failing which may result in deduction of remuneration.

4. Tax Deduction at Source:

4.1 The Income Tax or any other tax will be deducted at source as per Government instructions. Necessary TDS Certificate will be issued to them.

5. Confidentiality of data and documents:

- 5.1 The Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as deliverables produced for the Ministry/ organization shall remain with the Ministry.
- 5.2 No one shall utilize or publish or disclose or part with, to a third party, any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of his assignment or during the course of assignment for the Ministry without the express written consent of the Ministry.

5.3 The Consultant shall be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the Department before the expiry of the contract, and before the final payment is released by the Ministry.

6. Conflict of interest:

- The Consultant shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the interest of the Ministry nor will he indulge in any activity outside the terms of the contractual assignment.
- 2. The Consultant shall not claim any benefit/ compensation/ absorption/ regularization of service with this Ministry.

7. Termination of Agreement:

The Ministry may terminate the contract to which these terms apply, if-

- i. The Consultant is unable to address the assigned work.
- Quality of the assigned work is not to the satisfaction of the Controlling Officer/ Competent Authority in the Ministry.
- iii. The Consultant is found lacking in honesty and integrity.
- iv. The Competent Authority in the Ministry may also terminate the contract at any time without giving any notice and also without assigning any reason.

8. Applicability of Central Services Rules:

8.1 The engagement of consultant shall be subject to the provision of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and CCS (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.



Application for engagement as Consultant on contract basis in Ministry of Home Affairs w.r.t. the circular No. dated ...

Name	Recent Photograph
Mother's/ Father's/ Husband/'s Name	
Date of birth	
Address for Correspondence	
Permanent Address	
Contact No./ Mob. No.	
Email ID	
Educational/ Technical Qualification (S)	
Details of experience to be attached in proforma appended as "APPENDIX"	Dully filled proforma "APPENDIX" is attached.
Date of retirement and name of the office where the officer was last working. Enclose the copy of PPO	
Any other relevant information (use a separate sheet, if necessary)	

The information furnished above is true. I have carefully read the terms and conditions mentioned in Annexure and they are acceptable to me. I certify that no disciplinary proceedings are pending against me, as on date.

Date:

Signature of the Applicant



Details of experience

Period	Name of Office/ Organization	Post/ Last Pay Drawn/ Pay Band	Description of duties performed
	Organization	with Grade Pay/ Level Matrix, if	duties performed
		applicable	

Name/	Signature:-	
	-	



No.41/20/2023-NDM-I भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

'सी' विंग, तृतीय तल, एन डी सी सी भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -01. दिनांक :-/6 क जनवरी, 2024.

परिपत्र

गृह मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग में अनुबंध आधार पर परामर्शदाताओं की छह महीने की अविध की नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहें हैं, जो उप निदेशक पद के लिए अवर सचिव या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों और सहायक निदेशक पद के लिए अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हों।

परामर्शवाता - उप निवेशक के पव के लिए (ा) आपदा प्रबंधन से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण और सहायक निवेशक के पव के लिए (स्तर 11 में) पव के लिए अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए (62 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आँकड़ों का विश्लेषण, प्रवंधन संधारीकर्ण और उच्च स्तरीय समिति (श्वाएलसी) की बैठकों का आयोजन, एजेंडा बिन्दु तैयार करना। (त्राण्ट्रीय कार्याजन, एजेंडा बिन्दु तैयार करना। (त्राण्ट्रीय कार्याजन, एजेंडा बिन्दु तैयार करना। (त्राण्ट्रीय सहायता के लिए संधाधन जुटाना। अर्थशास्त्र/कानून/सांख्यिकी में शैक्षणिक योग्यता रखता हो। (र) त्राच्या सहायता के लिए संसाधन जुटाना। अर्थशास्त्र/कानून/सांख्यिकी में शैक्षणिक योग्यता रखता हो। (र) त्राच्या सहायता के लिए संसाधन जुटाना। केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों से प्राप्त ज्ञापन का विश्लेषण करना। (र) राज्यों में अधिसूचित आपदाओं के कारण प्रभावित की सोंप्रण और पारस्परिक संवाद कीशल संपन्न एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पाइंट आदि कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और टिप्पा/अलेखन, बजट/लेखा, कार्यालय पद्धित आदि में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए।
अवर सचिव या समकक्ष और सहायक निदेशक के पद के लिए स्तर 11 में) पद के लिए परामर्शदाता- परामर्शदाता- 01 सहायक निदेशक के पद के लिए अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए 62 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हों। 1. नियुक्त किए गए व्यक्ति को अंधरास्त्र, कानुमान हो और या अर्धशास्त्र, कानुमान हो और या अर्धशास्त्र, कानुमान हो। 2. नियुक्त किए गए व्यक्ति को संप्रेय पारस्परिक संवाद कौशल संपन्न एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पातर प्वाइंट आदि कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ता हो। 2. नियुक्त किए गए व्यक्ति को संप्रेय एक्सेल और पातर प्वाइंट आदि कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ता होना चाहिए और टिप्पण/आलेखन, बजट/लेखा, कार्यालय पारित करना। अंधर सिवानिवृत्त हुए विप्तेय सिमित की उप स्तरीय सिवानिवृत्त केंद्र सरकार के समक्ष संसाधन जुटाना। के न्द्रीय सहायता के लिए राज्यों से प्राप्त ज्ञापन का विश्लेषण करना। (v) केन्द्रीय सहायता के लिए अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय सेवाद जोर में मौके पर मूल्यांकन के लिए अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय सिवानिवृत्त करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना के लिए अंतर-मंत्रालय केन्द्री सिवानिवृत्त करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमुव्यक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमुव्यक्ति करना और प्रतिमियुक्ति करना और प्रतिमुव्यक्ति करना और प्रतिमुव्यक्ति करना के लिए अंतर-मंत्रालय केन्द्री सिमिति की उप स्तिमिति की उप स्तिमित्र करना।
(vi) राज्यों के साथ साथ संबंधित

 परामर्शदाता हेत् पारिश्रमिक और नियुक्ति संबंधी शर्ते और निबंधन 	जैसे एनडीएमए,	
दिशानिर्देशों में देखे ज सकते हैं।	समन्वय। (vii) पीएमओ/ वीआईपी संदर्भों	
	और आरटीआई आवेदनों का निपटान करना।	

आवेदकों से अनुरोध है कि दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक अपने आवेदन संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक ॥) में श्री अजय कुमार, अनुभाग अधिकारी (डीएम-॥), सी विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, नई दिल्ली-01 को प्रस्तुत करें और उसे तक <u>ajay.kumar92@gov.in</u> पर भी ईमेल करें ।

(आशीष वि गवई) भारत सरकार के निदेशक फ़ोन:- 011-23438154 ईमेल: <u>av.gawai@nic.in</u> dir-dm1@mha.gov.in

सेवामें,

- अवर सचिव (सीएस.। समन्वय), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-(व्यापक प्रचार के लिए DoP&T की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
- अवर सचिव (समन्वय), एनडीएमए, सफदरजंग एन्क्लेव, एनडीएमए भवन, ए-1, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 29. - (एनडीएमए की आधिकारिक वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।)
- संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, प्लॉट नंबर 15, ब्लॉक-बी, पॉकेट-3, सेक्टर-29, रोहिणी, दिल्ली 42. (एनआईडीएम की आधिकारिक वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ)।
- 4. एनआईसी सेल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -01- (गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट यानी ndmindia.mha.gov.in पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।)

अन्य नियम एवं शर्तें

1. पात्रता

- 1.1 उप निदेशक के पद के लिए अवर सचिव या समकक्ष पद से और सहायक निदेशक पद के लिए अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति परामर्शदाता पद के लिए पात्र हैं।
- 1.2 संप्रेषण और पारस्परिक संवाद कौशल संपन्न एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर प्वाइंट आदि कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ।
- 1.3 कार्यालय पद्धति में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए।

2. नियुक्ति :

2.1 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध आधार पर होगी और उन्हें मंत्रालय में नियमित नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. कार्य समय:

- 3.1 परामर्शदाता को सामान्य कार्यालय समय का पालन करना होगा और काम की अत्यावश्यकता के मामले में उन्हें शनिवार, रविवार या किसी छुट्टी के दिन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा जा सकता है।
- 3.2 उन्हें एईबीएएस में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और ऐसा न करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है।

4. स्रोत पर कर की कटौती:

4.1 आयकर या किसी अन्य कर की कटौती सरकारी अनुदेशों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी। उन्हें आवश्यक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

5. डाटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:

- 5.1 मंत्रालय/संगठन के लिए एकत्र किए गए डाटा और निर्मित प्रदेय के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) भी मंत्रालय के पास रहेंगे।
- 5.2 कोई भी व्यक्ति मंत्रालय की लिखित सहमित के बिना उसको सौंपे गए कार्य के उद्देश्य हेतु या मंत्रालय के लिए सौंपे गए कार्य की अविध के दौरान एकत्रित डाटा या सांख्यिकीय आंकड़ों या कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग को किसी तीसरे पक्ष के लिए उपयोग या प्रकाशित या प्रकट या व्यक्त नहीं करेगा।
- 5.3 परामर्शदाता को, अनुबंध की समाप्ति से पहले, तथा मंत्रालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने से पहले सौंपे गए कार्य के अभिलेखों का सम्पूर्ण सैट विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।



6. हितों में संघर्ष:

- 1. परामर्शदाता ऐसे किसी मामले का प्रतिनिधित्व या उस पर विचार नहीं करेगा या अन्य व्यक्तियों को सलाह नहीं देगा जो मंत्रालय के हित में न हो और न ही वह अनुबंध पर सौंपे गए कार्य की शर्तों के बाहर किसी कार्यकलाप में लिप्त होंगे।
- 2. परामर्शदाता इस मंत्रालय में सेवा से संबंधित किसी लाभ/क्षतिपूर्ति/आमेलन/सेवा के नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।

7. करार की समाप्ति:

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संविदा समाप्त कर दिया जाएगा, यदि-

- i. परामर्शदाता सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहता है।
- ii. सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता मंत्रालय में नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।
- iii. परामर्शदाता की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में कमी है।
- iv. मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए इस अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।

8. केंद्रीय सेवा नियमों की प्रयोज्यता:

परामर्शदाता की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों के अधीन होगी।



संस्कृति मंत्रालय में अनुबंध आधार पर	परामर्शदाताओं व	की नियुक्ति	के लिए	आवेदन	पत्र संव	दर्भ
परिपत्र सं	दिनांक					

नाम		नवीनतम
माता/पिता/पति का नाम		फोटोग्राफ
जन्म तिथि		
पत्राचार का पता		
स्थायी पता		
संपर्क सूत्र / मोबाइल सं.		
ई-मेल आईडी		
शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता (एं)		
उपलब्ध कराए जाने वाले अनुभव का ब्यौरा	विधिवत भरा गया प्रपत्र "परिशिष्ट" संल	र है।
सेनानिवृत्ति की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम जहां अधिकारी अंत में कार्य कर रहा था। पीपीओ की प्रति संलग्न करें।		
कोई अन्य संगत सूचना (यदि आवश्यक हो, तो अलग शीट का उपयोग करें)		

ऊपर में दी गई सूचना सही है। मेंने अनुलग्नक में उल्लिखित नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और ये मुझे स्वीकार्य हैं। में प्रमाणित करता/ करती हूँ कि वर्तमान स्थिति के अनुसार मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

दिनांक :



आवेदक के हस्ताक्षर

अनुभव संबंधी ब्यौरा

		0	6
अवधि	कार्यालय / संगठन	पद/ अंतिम आहरित	किए गए कार्य का
	का नाम	वेतन/ ग्रेड वेतन/	विवरण
		लेवल मैट्रिक्स, यदि	
		लागू है सहित वेतन	
		बैंड	
	The second of		

नाम/	हस्ताक्षर	:
------	-----------	---

